

564

RTP-4

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/III/10पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :- 16.05.2011

आदेश

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.06.2010 के द्वारा जारी 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल की छोटी आवासीय टाउनशिप योजनाओं के लिए निर्धारित मानदण्ड बिन्दु संख्या 4.02 (i) व (iii) में आवासीय/व्यावसायिक भाग के क्षेत्रफल का प्रतिशत 60 प्रतिशत व खुला स्थल/पार्क/सडक/सुविधाएँ आदि हेतु 40 प्रतिशत क्षेत्रफल आरक्षित रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

ह.

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव